न्यायालय सी0जे0एम0, सम्भल स्थित चन्दौसी।

उपस्थितः कमल दीप, उ0प्र0 न्यायिक सेवा।

JO Code -UP 1794

CNR No-UPSL040046372022

विविध वाद संख्या–199/2022

पंजीयन संख्या–199/2022

मुरली बनाम संजीव।

12.11.2022

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पुकार पर वादी अनुपस्थित। वादी को नोटिस प्रेषित किया गया। नोटिस के तामीला क्रम में वादी पर नोटिस की तामील बजात खास अमल में लायी गयी। प्रस्तुत मामलें में वादी मुकदमा द्वारा थाना सम्भल पर अभियुक्त संजीव के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध मामला नहीं पाते हुये प्रस्तुत मामलें में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। वादी मुकदमा द्वारा कोई विरोध याचिका प्रस्तुत नहीं की गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने C.L.No31/2012/Admin-G-II dated: Allahabad 11.12.2012, ,एवं C.L. No-96VIII-B Dated: 19July 1971-One Month. See also C.L. No-10/VII-C/25 Admin(G) तथा Criminal Misc. Case No. 2520 of 2012(482 Cr.pc) Pradeep Kumar Shrivastava v. State of Uttar Pradesh में अन्तिम आख्या को एक माह और अधिकतम 3 माह में निस्तारित करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपना वाद चलाना नहीं चाहता है। ऐसी दशा में इस स्तर पर इस अन्तिम आख्या को लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 131/2022 धारा 363,366,506 भा0दं0सं0 थाना सम्भल के मामलें में प्रस्तुत अन्तिम आख्या सं0 22/2022 दिनॉकित 23.05.2022 स्वीकार की जाती है। वादी चाहे तो सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(कमल दीप),

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

सम्भल स्थित चन्दौसी।